

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक :- 10-01-17

अधि.सं.-01/स्था.(प्रो.)-10-01/16-70/पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना सं.-2376 (S) दिनांक 12.04.2016 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली-2016 के अनुसूची-I असैनिक अभियंत्रण संवर्ग के कंडिका-4 में कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (अकार्यात्मक ग्रेड-II) (ग्रुप-'ए') वेतनमान 15600-39100, पे बैंड-PB-III, ग्रेड वेतन 7600 का पद कर्णांकित किया गया है।

2. कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (अकार्यात्मक ग्रेड-II) के कुल पदों को वरीय कर्तव्य पदों (ग्रेड वेतन 6600 से अधिक) की संख्या के 30% तक सीमित रखा जाना है, जो कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के कुल स्वीकृत पदों से अधिक नहीं होगा। असैनिक अभियंत्रण संवर्ग में स्वीकृत वरीय कर्तव्य पदों की संख्या-251 है। इस प्रकार कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (अकार्यात्मक ग्रेड-II) के कुल पदों की संख्या 75 होगी, जो कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के कुल स्वीकृत पद 185 के अंतर्गत है।

3. अतएव, कार्यपालक अभियंता (असैनिक), ग्रेड-II ग्रुप-'ए' के कुल 75 पदों, जो कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के कुल 185 पद के अंतर्गत है, को कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (अकार्यात्मक ग्रेड-II) (ग्रुप-'ए'), वेतनमान 15600-39100, पे बैंड-PB-III, ग्रेड वेतन रु. 7600 के रूप में कर्णांकित किया जाता है।

4. उपरोक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- 70

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- 70

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची/

प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची / प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड राँची / सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची / प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची / सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड राँची / प्रबन्ध निदेशक, झालको / प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, जमशेदपुर / अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब., 7यो., एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)।